

## न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 06/2020

वादीगण

प्रतिवादीगण

हठेसिंह गोद पुत्र तनसिंह के कायम मुकाम 1 विलासकंवर पत्नी हठेसिंह 2 पुष्पेन्द्रसिंह 3 शिशुपालसिंह पिसरान हठेसिंह वादी संख्या 02 व 03 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती विलासकंवर वादी संख्या 01 जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम 1 रतनसिंह 2 माधुसिंह 3 सुजानसिंह पिसरान थानसिंह 4 महेन्द्रसिंह 5 सुमेरसिंह पिसरान चुतरसिंह 6 अखेसिंह 7 मोहनसिंह पिसरान गुलाबसिंह 8 भंवरकंवर पत्नी गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर 9 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री अमृतलाल जैन, वकील वादी पक्ष।

2. श्री नरेश छाजेड़, वकील प्रतिवादी पक्ष।

### निर्णय

दिनांक 26/08/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही परिवार के सदस्य है तथा दुर्गसिंह पुत्र सादुलसिंह के वंशज है। वादी हठेसिंह को तनसिंह पुत्र सबलसिंह ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रिति रिवाज से गोद लिया। मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 128 रकबा 90.02 बीघा, खसरा संख्या 149 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 150 रकबा 87.02 बीघा, खसरा संख्या 348/97 रकबा 30.12 बीघा, खसरा संख्या 349/97 रकबा 03.02 बीघा कुल रकबा 211.02 बीघा भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/2 हिस्सा तथा मौजा जहाजपुरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 145 रकबा 53.03 बीघा भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का 1/2 हिस्सा तथा मौजा बाड़मेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 2926/974 रकबा 03.07 बीघा, खसरा संख्या 2932/962 रकबा 08.19 बीघा व खसरा संख्या 2942/974 रकबा 04.00 बीघा भूमि वादीगण की पैतृक भूमि आई हुई है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का कब्जा काशत है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने के कारण कब्जे को लेकर विवाद होने से वाद प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 128 रकबा 90.02 बीघा, खसरा संख्या 149 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 150 रकबा 87.02 बीघा, खसरा संख्या 348/97 रकबा 30.12 बीघा, खसरा संख्या 349/97 रकबा 03.02 बीघा कुल रकबा 211.02 बीघा भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर  
(SDO) बाड़मेर

संख्या 01 से 03 का 1/2 हिस्सा तथा मौजा जहाजपुरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 145 रकबा 53.03 बीघा भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का 1/2 हिस्सा तथा मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2926/974 रकबा 03.07 बीघा, खसरा संख्या 2932/962 रकबा 08.19 बीघा व खसरा संख्या 2942/974 रकबा 04.00 बीघा भूमि में वादीगण एकमात्र खातेदार है तथा उक्तानुसार खातेदारी की घोषणा की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

वादीगण की साक्ष्य में वादीनी विलासकंवर साक्षी रतनसिंह, अखेसिंह, सुजानसिंह, शंभुसिंह को परीलक्षित कराया गया। अभिलेख के साक्ष्य में चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 बाडमेर आगोर EX-1, खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2070 से 2073 जो EX-2, जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074, जो EX-3, रावल मल्लीनाथ वंश 2019, जो EX-4, श्री हठेसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो EX-5, वीलास कंवर का आधार कार्ड की प्रति, जो EX-6, राशन कार्ड की प्रति, जो EX-7, नजरी नक्शा बाडमेर आगोर EX-8, नजरी नक्शा खुड़ासा, जो EX-9, नजरी नक्शा जहानपुरा, जो EX-10 किये और माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बाडमेर द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रति पेश की।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् प्रदर्श-01 से प्रदर्श-10 का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है किवादी हठेसिंह को तनसिंह पुत्र सबलसिंह ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बाडमेर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 48/2020 अनवान हठेसिंह बनाम हरआम खास वगैरा में दिनांक 23.11.2020 को जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में मृतक खातेदार तनसिंह पुत्र सबलसिंह के जायज वारिश विलासकंवर पत्नी हठेसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र हठेसिंह एवं शिशुपालसिंह पुत्र हठेसिंह को उत्तराधिकारी माना गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार तनसिंह पुत्र सबलसिंह ने अपने जीवनकाल में हठेसिंह को गोद लिख था। खातेदार तनसिंह उसकी पत्नी तथा गोदपुत्र हठेसिंह तीनों फौत हो चुके है। अब खातेदार तनसिंह के जायज वारिश गोदपुत्र हठेसिंह की विधवा पत्नी विलासकंवर एवं उसके जायन्दा पुत्र पुष्पेन्द्रसिंह एवं शिशुपालसिंह होना प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब दावा, मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाकर मौजा खुड़ासा पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 128 रकबा 90.02 बीघा, खसरा संख्या 149 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 150 रकबा 87.02 बीघा, खसरा संख्या 348/97 रकबा 30.12 बीघा, खसरा संख्या 349/97 रकबा 03.02 बीघा कुल रकबा 211.02 बीघा भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/2



हिस्सा तथा मौजा जहानपुरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 145 रकबा 53.03 बीघा भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित की जाती है तथा मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2926/974 रकबा 03.07 बीघा, खसरा संख्या 2932/962 रकबा 08.19 बीघा व खसरा संख्या 2942/974 रकबा 04.00 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार कैसत होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 26/05/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

(रोहित चौहान)  
सहायक कलेक्टर  
(एसडीओ) बाडमेर

सहायक कलेक्टर  
(एसडीओ) बाडमेर